आधुनिक भारतीय शैक्षिक चिन्तन

डॉ. संतोष कुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर
कॉलेज ऑफ एजूकेशन, बिलासपुर,
ग्रेटर नोएडा

हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप अब परम्परागत नहीं रहा है। यह जन शिक्षा है, जो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक रूप से पर्याप्त आधुनिक है। सिद्धान्तः शिक्षा के अवसर सभी के लिये समान रूप से उपलब्ध हैं। योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है एवं शिक्षक बन सकता है। शिक्षा की अन्तर्वस्तु काफी आधुनिक है। स्वतंत्रता, मानवता, नैतिकता और लोकतन्त्र, विज्ञान और तकनीक–स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले प्रमुख विषय हैं। शिक्षा मानव समाज की संरचना एवं व्यक्ति के भावी जीवन के दिशा निर्देशन का मूल आधार एवं एक सतत् विकासशील प्रक्रिया है। प्राचीन काल से भारतीय शिक्षा का चिन्तन आर्थिक चिन्तन के सापेक्ष एवं वैश्विक रहा है। वह व्यक्ति की नहीं मानव जगत् के अज्ञान को दूर करने की बात करता है। 'शिक्षा' व्यक्ति को प्राकृत से संस्कृति की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन भारत में शिक्षा को अन्तर्ज्योति एवं आत्मबोध का साधन माना जाता था। 'असतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय' प्रार्थना बृहदरण्यकोपनिषद् में निर्दिष्ट है। वहीं स्पष्ट भी किया गया है कि असत् व तमस् का अर्थ भी यहाँ मृत्यु ही है और 'सत्' व 'ज्योति' का अर्थ 'अमृत' ही है। मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना। अमरता अर्थात् समाजीकरण के मूलाधार आत्मतत्त्व या परमात्म तत्त्व अथवा ब्रह्मभाव की प्राप्ति। आरम्भिक शिक्षा औपचारिक न होकर संस्कृति की अंतर्निहित अंग थी। तब शिक्षा आदिम जनों के बीच लोगों के समूह में रहने, बसने और जीवन जीने की पारस्परिक पद्धति एवं उससे उपलब्ध अनुभवों का सांस्कृतिक नाम था। किन्तु, सभ्यता के विकास के साथ जीवन जटिल से जटिलतर होता गया और जीवन तथा जगत से सम्बन्धित ज्ञान की आवश्यकता और विविधता भी बढ़ती गयी। परिणामतः शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षक–शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम प्रविधि, संस्था आदि का सन्निवेश हुआ। प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रकृति औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही थी। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख केन्द्र आश्रम एवं गुरुकुल आदि थे, जहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी, जबकि माता–पिता, पुरोहित, कथावाचक, संन्यासियों के प्रवास, तीर्थयात्रायें, पर्व, त्योहार, मेला आदि अनौपचारिक शिक्षा के सशक्त माध्यम थे। इस प्रकार शैक्षणिक संस्थान सभ्यता के पावन ध्येय को दृष्टिगत रखते हुये मानव द्वारा किये गये अनेकानेक प्रयासों का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो गुरु–शिष्य परम्परा के विकास में निहित है। लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के आदान–प्रदान एवं इसकी रक्षा के लिए गुरु–शिष्य परम्परा का विकास हुआ।[i]

शिक्षा ज्ञान का मूल स्रोत है। यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह मानव जीवन को प्रगति से जोड़ने की मुख्य धारा है। मनुष्य के सामाजिक जीवन में शिक्षा एक प्रकार का पौष्टिक पदार्थ है। जिसके द्वारा शक्ति और बल मिलता है। फलस्वरूप मनुष्य और समाज दोनों आगे बढ़ते हैं तथा शिक्षा के कारण ही

नागरिक अपने कर्तव्य को समझते हैं और उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में डॉ. ए.एस. अल्तेकर का मत है कि – "शिक्षा को प्रकाश व शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है।" शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है।26 जनवरी, 1950 ई. को में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसके अन्तर्गत शिक्षा के उत्तरदायित्व का विभाजन इस प्रकार किया गया – 1. केन्द्र सरकार के शैक्षिक कार्य, 2. राज्य सरकार के शैक्षिक कार्य, एवं केन्द्र व राज्य सरकारों के समेकित उत्तरदायित्व।

शिक्षा व्यवस्था के लिये शिक्षा मंत्रालय बना और उसकी सहायता के लिए केन्द्र स्तर पर कई संस्थायें बनीं, जैसे – केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, आल इण्डिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजूकेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् आदि। राज्यों में शिक्षा की देखभाल शिक्षामंत्री करता है। इसकी सहायता के लिये शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक होते हैं। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकाय और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं।

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में विश्व स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। यूनिसेफ ने बच्चों की सर्वांगीण खुशहाली के लिए प्राथमिक शिक्षा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भारतीय संविधान की 45वीं धारा में यह उपबन्ध किया गया था कि – 'राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के 10 वर्षों के अन्दर सभी बच्चों को जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कानून बन गया है। संविधान लागू किये जाने के समय शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी परन्तु 1977 से इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। केन्द्र तथा राज्य सरकार की यह सम्मिलित जिम्मेवारी हो गयी कि वह शिक्षा के विकास के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। शिक्षा का अधिकार कानून बनने के बाद से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा तरह–तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में 86वाँ संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है जिससे उसे वंचित नहीं रखा जा सकता।[ii]

माध्यमिक शिक्षा वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। एक ओर तो वह निम्न–मध्यम वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, प्राथमिक विद्यालय के लिए अध्यापक प्रदान करती है, द्वितीय और तृतीय पंक्ति के नेता तैयार करती है, दूसरी ओर वह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करती है। वह मानव–जीवन के उन वर्षों में सम्पन्न होने वाली शिक्षा है, जिन्हें सामूहिक रूप से किशोरावस्था कहते हैं। अतः इस शिक्षा के महत्व की कल्पना सहज ही में की जा सकती है।[iii] माध्यमिक शिक्षा यदि एक ओर शिक्षा का अन्तिम स्तर है तो दूसरी तरफ यह शिक्षा की नींव है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तिम स्तर तक आते–आते 70 प्रतिशत बालक–बालिकाओं की पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय शिक्षा तथा वास्तविक जीवन में प्रवेश की दृष्टि से यह बालक–बालिकाओं के व्यवसाय व अध्ययन के नींव का काम करती है। माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग रहता है। यह

बच्चों में रुचि, आदत, अभिवृत्ति, बौद्धिक विकास, कार्य कुशलता, सामाजिकता, क्रियाशीलता इत्यादि गुणों का विकास करने में सहायक होती है।[iv]

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक उसकी विश्वविद्यालयी शिक्षा (उच्च शिक्षा) है, जिसमें उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। विश्वविद्यालयी शिक्षा आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के महत्व को हमारे ऋषियों ने अनुभव किया। भारतीय जनमानस में शिक्षा शिक्षितों और शिक्षा के प्रचार–प्रसार को सर्वोच्च श्रद्धा का स्थान प्रदान किया जाता रहा है। शिक्षा अनिवार्य रूप से आधुनिकीकरण की पूर्व शर्त है। यह लोगों को उनके अपने पास–पड़ोस से बाहर की दुनिया के बारे में जानने के योग्य बनाती है। यह उनके दृष्टिकोण और विश्व दृष्टि को तार्किक और मानवीय बनाकर उनका रूपान्तरण करती है। फिलहाल, हमें यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो चुका है तथा बदले में यह भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही है।[v]

भारत की परम्परागत शिक्षा व्यवस्था से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था काफी अलग है। परम्परागत भारतीय समाज में शिक्षण संस्थाओं की संख्या बहुत कम थी। शिक्षा की अन्तर्वस्तु असामान्य एवं गूढ़ थी तथा मूलतया धर्म, दर्शन, तत्व मीमांसा और धर्मग्रन्थ सम्बन्धी विषयों से सम्बन्धित थी। शिक्षा केवल द्विज जातियों तथा उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। संगठनात्मक ढाँचा प्रदत्त और वंशानुगत था। निम्न जातियाँ, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियाँ शिक्षा से वंचित थीं। मदरसा शिक्षा, आज भी, व्यापक रूप से धर्म, दर्शन और धर्मग्रन्थ सम्बन्धी शिक्षा पर बल देती हैं। शिशु मंदिरों में भी धर्म और परम्परा वर्तमान पाठ्यक्रम का अंग है।

आधुनिक शिक्षा बाह्य, खुली और उदार है। इसकी विश्व दृष्टि तार्किक और वैज्ञानिक है। इसकी मूल विषय वस्तु स्वतंत्रता, समानता तथा मानवतावाद है। यह धार्मिक कट्टरवादिता एवं अंधविश्वासों में आस्था का खण्डन करती है। आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु तार्किक तथा वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। विज्ञान और तकनीक, व्याकरण और साहित्य, सामाजिक दर्शन, इतिहास और संस्कृति, भूगोल और पारिस्थितिकी, कृषि और बागबानी आदि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों की विस्तृत श्रेणी में सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम सम्बन्धी और पाठ्येत्तर गतिविधियाँ शिक्षा का अंग है। ये गतिविधियाँ प्रायः विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिये आयोजित की जाती हैं।शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। इस समय भारत में लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति को सफल बनाने की आवश्यकता भी थी, जिससे शिक्षा का महत्व विशेष रूप से उपस्थित है।

Copyright © 2017 *Dr. Santosh Kumar Singh*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

सन्दर्भ :

i लौकिक वैदिकं वाऽपि तथाऽऽध्यात्मिकमेव च।

—मनु, 2.11.7.

ii महाभारत, 5.44.6.

iii रवीन्द्र अग्निहोत्रीः आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007, पृ111.

iv बी.पी. जौहरी एवं पी.डी. पाठकः भारतीय शिक्षा की समस्यायें, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1963, पृ. 72.

v शिवबहाल सिंह, विकास का समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2010, पृ. 209.